भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 995

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**विद्यालयों में ब्रेल प्रिंटर**

995. श्री मो॰ नदीमुल हक़ः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ब्रेल प्रिंटर है;

(ख) क्या ऐसी कोई समय-सीमा है जिसके भीतर देश के समस्त सरकारी विद्यालयों में ऐसे प्रिंटर स्थापित कर दिए जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) से (ग) : सरकारी स्‍कूलों में ब्रेल प्रिन्‍टर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत सभी बच्‍चों को नि:शुल्‍क पाठ्य पुस्‍तकें प्राप्‍त करने का अधिकार है। तदनुसार, दृष्टिहीन बच्‍चों को ब्रेल पुस्‍तकें उपलब्‍ध कराने सहित सभी बच्‍चों को निशुल्‍क पाठ्य पुस्‍तकें प्रदान की जाती हैं।

भारत सरकार 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्‍चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु केन्‍द्र प्रायोजित योजना-सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) का कार्यान्‍वयन कर रही है। एसएसए के अंतर्गत सरकार, राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों से प्राप्‍त प्रस्‍तावों के आधार पर प्राथमिक और उच्‍च प्राथमिक स्‍कूलों में पढ़ रहे दृष्टिबाधित बच्‍चों को नि:शुल्‍क ब्रेल और बड़े मुद्रित अक्षरों वाली पाठ्य पुस्‍तकें नि:शुल्‍क उपलब्‍ध कराने हेतु निधियां आबंटित करती है। ये पुस्‍तकें मुख्‍यत: राष्‍ट्रीय दृष्टिबाधित संस्‍थान, गैर सरकारी संगठनों और स्‍थानीय ब्रेल मुद्रणालयों के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराई दृष्टिबाधित जाती हैं।

**\*\*\*\*\***